राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

5 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली-110 016

रा.सं/लेखा-III/I/01/2022-23/ दिनांक: 21.11.2022

कार्यालय ज्ञापन

संस्थान के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधाओं के मामले की समीक्षा की गई है और समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 और कार्यकारी परिषद (ईसी) का अनुमोदन से सी एस (एम ए) नियम, 1944 में किए गए परिवर्तन का कड़ाई से पालन करने की सविकृति प्रदान की है। कार्यालय ज्ञापन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(पी आर मीना)
उप निदेशक (प्रशासन)

वितरण:

1. संस्थान के समस्त अधिकारी/कर्मचारी
2. सभी पेंशनभोगी
3. सभी क्षेत्रीय केंद्र
4. नोटिस बोर्ड
5. संस्थान की वेबसाइट

सूचनार्थ प्रति :-

1. निदेशक के निजी सचिव
2. सभी संयुक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक
3. संयुक्त निदेशक (सा.से.) के निजी सहायक
4. संपादक/सभी स.प्र.अ.
5. सहायक निदेशक एवं प्रभारी आईटी सेल
6. उप निदेशक (प्रशासन)/(लेखा)
7. समस्त लेखा अधिकारी
8. कार्यालय आदेश फाइल/संबंधित फाइल

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

5 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली-110 016

रा.सं/लेखा-III/I/2022-23/ दिनांक: 15.12.2022

परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी ने सेंट स्टीफंस अस्पताल द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सीय सुविधाएं के विषय में समीक्षा की है। तद्परांत यह निर्णय लिया गया है कि सेंट स्टीफंस अस्पताल द्वारा निपसिड के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त व उनके आश्रितों को नगदीरहित (कैशलेस) सुविधा दिनांक: 16.12.2022 से तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाए।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संघमित्रा बारिक

(डॉ. एस. बारिक)

संयुक्त निदेशक (सा.से.)

वितरण:-

1. संस्थान के समस्त अधिकारी/कर्मचारी
2. सभी पेंशनभोगी
3. सभी क्षेत्रीय केंद्र
4. नोटिस बोर्ड
5. संस्थान की वेबसाइट

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. निदेशक के निजी सचिव
2. सभी संयुक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक
3. संयुक्त निदेशक (सीएस) के निजी सहायक
4. संपादक
5. सहायक निदेशक एवं प्रभारी आईटी सेल
6. उप निदेशक (प्रशासन/लेखा)
7. सभी लेखा अधिकारी
8. कार्यालय आदेश की फाइल/संबंधित फाइल
9. सभी स.प्र.अ
10. कार्यालय आदेश की फाइल/संबंधित फाइल

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
5 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली-110 016

रा.सं/लेखा-III/I/01/2022-23/ दिनांक: 15.12.2022

कार्यालय ज्ञापन

कार्यालय ज्ञापन संख्या: रा.सं/लेखा-III/I/01/2022-23 दिनांक: 21.11.2022 के क्रम में, केंद्रीय सेवा (एमए) नियम, 1944 के अंतर्गत अधिकृत चिकित्सक (ए एम ए)/मान्यता प्राप्त अस्पतालों से उपचार प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

क्रम संख्या	सुविधाओं का विवरण	प्रक्रिया
01	अधिकृत चिकित्सक (ए एम ए) /विशेषज्ञ की नियुक्ति नियम-2(10)	क)सभी क्षेत्रीय केन्द्रों से अपेक्षित है कि वे अधिकृत चिकित्सकों की सूची में से ही पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों को रखेंगे। ये चिकित्सक संबन्धित शहरों / क्षेत्रों की केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति (CGEWCC) के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित होंगे। ख) उनके निवास/कार्यालय के आस-पास के भौगोलिक क्षेत्रों से उनके इस प्रकार चुने गए चिकित्सकों की एक समेकित सूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अनुमोदन हेतु निपसिड मुख्यालय को भेजी जा सकती है। ग) इस तरह के अनुमोदित पैनल की अवधि/वैधता एक वर्ष की अवधि के लिए होगी या जैसा केंद्रीय कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति (CGEWCC) अनुमोदित करे जिसे आगे के वर्षों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के विषयाधीन है।
02	अधिकृत चिकित्सक का चयन नियम -2 (3) (iv) (क)	सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निवास के निकटतम अधिकृत चिकित्सक (ए एम ए) से परामर्श लें। वह अधिकृत चिकित्सक (ए एम ए) की सूची में से किन्हीं दो अधिकृत चिकित्सकों (ए एम ए) को चुन सकता है व विशेषज्ञों के विकल्प सहित अधिकृत चिकित्सक (ए एम ए) के नाम (नामों) के विकल्प को संबंधित नियंत्रक प्राधिकरणों को पहले से दे सकता है एवं इसे अनुमोदित करवा सकता है।

03	अधिकृत चिकित्सक (ए एम ए) हेतु देय परामर्श शुल्क	कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित मौजूदा शुल्क संरचना (free structure) लागू होगी।
04	केंद्रीय सेवा (एम ए) केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) नियम-(6)(2) के अंतर्गत स्वीकृत निजी अस्पतालों में आंतरिक भर्ती रोगियों का उपचार	कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य जिन्हें भर्ती होने की आवश्यकता है वे उन अस्पतालों में सीधे इलाज के लिए प्रवेश ले सकते हैं, जहां वह साधारणतया नियम के तहत उपचार पाने के हकदार हैं यथा ऐसे अस्पताल में जहां वे आपातकालीन उपचार को छोड़कर संबंधित अधिकृत चिकित्सक को सूचित कर उनके परामर्श से भर्ती हो सकते हैं।
05	उपचार की अवधि तथा प्रस्तुत किए गए बिलों में से चिकित्सा प्रतिपूर्ति	वर्तमान निपसिड नियम लागू होंगे।
06	सामान्य ड्यूटी स्टेशन से बाहर निजी अधिकृत चिकित्सक से उपचार (नियम-2 (3) (सी)	सरकारी कर्मचारी व उनके हकदार परिवार के सदस्य अपने सामान्यत: ड्यूटी स्टेशन के बाहर के अधिकृत चिकित्सकों (एम ए) से इलाज कराने के हकदार नहीं हैं। तथापि, किसी भी कारण से उन्हें चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है तो उन्हें संबंधित अधिकृत चिकित्सकों (ए ए एम ए) व कार्यालय प्रमुख को सूचित करते हुए केंद्रीय सेवा सीएस (ए एम ए) नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निकटतम सरकारी एवं अन्य अस्पतालों/औषधालयों से उपचार प्राप्त करना चाहिए।
07	ऐसे उपचार जिसमें 10 दिनों तक की अवधि के लिए कई परामर्श और इंजेक्शन की आवश्यकता हो।	यदि उपचार के लिए 10 दिनों से अधिक की आवश्यकता हो तो कर्मचारी को किसी नजदीकी सरकारी/मान्यता प्राप्त अस्पताल के ओपीडी में उपचार हेतु अधिकृत चिकित्सकों (ए एम ए) से रेफरल प्राप्त करना होगा। । तथापि, अधिकृत चिकित्सकों (ए एम ए) के निर्णय से, उपचार व इंजेक्शन अधिकतम 15 दिनों की अवधि तक दिए जा सकते हैं। यदि प्राप्त उपचार भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी से है, तो उपचार की अवधि 40 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है।
08	निपसिड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके आश्रितों को चिकित्सा उपचार की सुविधा	सेवानिवृत्त कर्मचारी केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति (CEWCC) द्वारा अनुमोदित सूची में से कोई भी दो अधिकृत चिकित्सकों (ए एम ए) को चुन सकते हैं या वे संबंधित क्षेत्रों के निजी चिकित्सकों में से किन्हीं दो चिकित्सकों /विशेषज्ञों को नामित करा सकते हैं व सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मुख्यालय/क्षेत्रीय केंद्र को इसकी सूची भेज सकते हैं।

09	दंत चिकित्सा	दंत चिकित्सा उपचार केवल सरकारी अस्पताल से या अधिकृत चिकित्सकों (ए एम ए) की सलाह से केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/केंद्रीय सेवा (एम ए) नियमों के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों या नजदीकी मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों से प्राप्त किया जा सकता है।

2. उपरोक्त दिशानिर्देश समय-समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय सेवा (एमए) नियम 1944 में संशोधन के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं। केंद्रीय सेवा (एमए) नियम 1944 में निर्धारित अन्य संबंधित नियम व उपचार की प्रक्रिया भी सख्ती से लागू होंगे। उपरोक्त नियम एवं प्रक्रिया इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

संघमित्रा बारिक
(डॉ. एस. बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

वितरण:

1. संस्थान के समस्त अधिकारी/कर्मचारी
2. सभी पेंशनभोगी
3. सभी क्षेत्रीय केंद्र
4. नोटिस बोर्ड
5. संस्थान की वेबसाइट

सूचनार्थ प्रति :-

1. निदेशक के निजी सचिव
2. सभी संयुक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक
3. संयुक्त निदेशक (सा.से.) के निजी सहायक
4. संपादक/सभी स.प्र.अ.
5. सहायक निदेशक एवं प्रभारी आईटी सेल
6. उप निदेशक (प्रशासन)/(लेखा)
7. समस्त लेखा अधिकारी
8. कार्यालय आदेश फाइल/संबंधित फाइल